DELHI POLICE 2025
CONSTABLE
HCM
AWO/TPO
DRIVER
यकीन बैच
POLITY
मूल अधिकार
Part -2
FUNDAMENTAL RIGHTS
LIVE
06-02-2025 12:10 PM

Polity → मूल अधिकार | Fundamental Rights - class-3

Art- 15 (3) → राज्य को अधिकार है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधान बना सकता है

the state has right to make special provision for women and children.

Note:- महिलाओं का घेरलु हिंसा से संरक्षण अधि. 2005

Protection act of women from Domestic voilence - 2005

अनुच्छेद :– 15 (2) – उपरोक्त आधार पर तालाब, दुकानों, होटलों सार्वजानिक पार्क में प्रवेश से नहीं रोका जायेगा।

अनुच्छेद :– 15 (3) – राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान (**Special Provision**) करें।

नोट :– 'महिलाओं का घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम– 2005

अनुच्छेद :– 15 (6) – 103वां –2019 द्वारा जोड़ा गया (**Add On**)

Art-15(6)

आर्थिक रूप पिछड़े लोगों के (**EWS**)- लोगो को

10 प्रतिशत आरक्षण **Reservation**

शैक्षिक संस्थानों (**Educational Institute**) में मिलेगा /

अनुच्छेद :– 16 लोक नियोजन की समानता (**Equal Opportunity**)

"सरकारी नौकरी में समानता"

अनुच्छेद :– 16 (4) – राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकता है। (Reservation

अनुच्छेद :– 16 (6) – 103 वां – 2019 में जोड़ा गया। Add on

लिए

(**EWS**) के 10 प्रतिशत का आरक्षण (**resev ation**) – सरकारी नौकरियों में दिया जायेगा।

छुआछूत का अन्त

अनुच्छेद –17 – अस्पृश्यता का अंन्त (**The end of untouchability**)

अस्पश्यता का अपराध अधिनियम – 1955 → (500 रु + 6 months)

1976 संशोधन (**Amendment**) – सिविल अधिकार संरक्षण अधि.- 1955

Civil Rights Protection act 1955)

अनुच्छेद – 18 उपाधियों का अन्त (The end of title)

राजा ×
कैसर-ए-हिन्द ×

महाराजा ×
विक्रमादित्य ×

⇒ डाक्टर / Doctor → डिग्री
⇒ भारत रत्न → सम्मान
⇒ पद्म विभूषण - सम्मान

स्वतन्त्रता का अधिकार Right to freedom 19-22

Article 19(1) (a) - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

Freedom of speach and expressions

i. प्रेस की स्वतन्त्रता / **Freedom of press**

ii. राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतन्त्रता **Freedom to fly the national flag**

iii. जानने का अधिकार / **right to know**

iv. शान्त रहने की स्वतन्त्रता **freedom to be quiet**

(v) इंटरनेट का प्रयोग / use of internet → 2017

19 (1) B शान्ति पूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतन्त्रता

Freedom to assemble peacefully without arms

19 (1) C- सभा, संघ, एवं सहकारी समितियाँ बनाकर

Freedom to make associations, unions & co-operative society

19(1) D- भारत में कही भी घूमने की स्वतन्त्रता

Freedom to move freely through out the territory of India

19(1) E - निवास या बसने की स्वतन्त्रता

Freedom to Reside & settle

19(1) G – किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतन्त्रता

Freedom of any profession of trade

Article 20- दोष सिद्धि से संरक्षण

Protection in respect of conviction for offenses

20(1)- कार्योत्तर विधियों से संरक्षण Ex-post Facto law

20(2)- दोहरे दण्ड से संरक्षण Conservation from double punishment

20(3) – स्वयं के विरूध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होगा।

Conservation being witness against own

Article 21- प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण

Protection of life and personal liberty

Article 21 (a) – **Right to education** शिक्षा का अधिकार

Article 22 – गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण

Protection again arrest and detention in certain cases

Article 23-24 शोषण के विरूद्ध अधिकार

Right Against exploitation

Art. 23- मनाव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेद

Prohibition of human trafficking and forced labour

Art. 24- बालकों के नियोजन का प्रतिषेद

Prohibition of employment of children

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (25–28)

Right to freedom to religion

Art. 25 - अन्तःकरण आदि की स्वतंत्रता

Freedom of Conscience etc

Art. 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबन्धन की स्वतंत्रता

Freedom to manage religious affairs

Art. 27- धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति

(Freedom to Taxes for religious Promotion)

Art.28 - शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता

(Freedom in Educational Institutions)

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (29-30)

(Cultural and Educational Rights)

Art. 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

(Protection of Interests of minorities)

Art. 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना

(Establishment of Educational Institution)

Art. 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार

(Right to Constitutional Remedies)

(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

इसका शाब्दिक अर्थ है- व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाय

Its literal meaning is - to be presented to the person

(2) परमादेश (Mandamus)

इसका शाब्दिक अर्थ है- हम आदेश देते हैं।

It literally means - We give orders.

(3) प्रतिषेध (Prohibition)

इसका अर्थ है-मना करना। **It means to refuse**

(4) उत्प्रेषण (Certiorari)

इसका शाब्दिक अर्थ है— पूर्णतया सूचित करना या मँगवा लेना।

Its literal meaning is to inform completely or to get it called.

(5) अधिकार पृच्छा (Quo warranto)

इसका शाब्दिक अर्थ है—आपका प्राधिकार क्या है?

It literally means—what is your authority?

भाग तीन के अपवाद (Exception of Part-III)

अनुच्छेद-33, संविधान के भाग तीन का अपवाद गठित करता है। constituted an exception to Part III of the Constitution does.

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों, members of the armed forces,

(ख) लोक व्यवस्था के दायित्वाधीन बल के सदस्यों members of the force responsible for public order

(ग) आसूचना ब्यूरो Intelligence Bureau

(घ) उक्त बल, ब्यूरो या संगठन हेतु स्थापित दूर संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों के सम्बन्ध में।

in respect of persons employed in the telecommunication system established for the said force, bureau or organization.

अनुच्छेद- 34- जब सेना विधि लागू हो (While Martial Law is in force)

Article- 34- When Martial Law is in force (While Martial Law is in force)

अनुच्छेद- 35 - संसद की विधि बनाने की शक्ति के अन्तर्गत संसद से यह अपेक्षा की गयी है कि वह उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग-तीन के अन्तर्गत अपराध घोषित किया गया है, (यथा- अनुच्छेद-17 व 23) दण्ड विहित करने के लिए विधि बनायेगी।

Article-35 - Under the law-making power of the Parliament, it has been expected from the Parliament to prescribe punishment for those acts which have been declared as crimes under Part-III (such as Article-17 and 23). Will make a method for this.

विदेशी एवं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार

- अनुच्छेद- 14
- अनुच्छेद- 20
- अनुच्छेद- 21
- अनुच्छेद- 21 A
- अनुच्छेद- 22
- अनुच्छेद- 23
- अनुच्छेद-24
- अनुच्छेद - 25
- अनुच्छेद- 26
- अनुच्छेद- 27
- अनुच्छेद- 28

केवल भारतीयों प्राप्त मौलिक अधिकार

- अनुच्छेद- 15
- अनुच्छेद- 16
- अनुच्छेद- 19
- अनुच्छेद- 29
- अनुच्छेद- 30